प्रेस नोट **27/01/2025**

थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ द्वारा कच्ची/देशी/नाजायज शराब कुल 200 लीटर, 03 पेटी बीयर व 297 देशी अपमिश्रित शराब का कराया गया विनष्टीकरण–

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में चलाया जा रहा "आपरेशन क्लीन" अभियान, जिसके अन्तर्गत बरामद/मुकदमाती मालों/अवैध शराब का कराया जा रहा विनष्टीकरण। शराब विनष्टीकरण के तहत श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ के आदेश प्राप्त होने के उपरांत जनपद मऊ श्रीमान् नगर मजिस्ट्रेट के विनष्टीकरण के आदेश के क्रम में दिनांक 26.01.2025 को तहसीलदार उमेंश कुमार सिंह सदर के उपस्थिति में थाना कोवालीनगर में वर्ष 2021,2022,2023 के कुल 29 अभियोगों से सम्बंधित अंग्रेजी/देशी/नाजायज शराब कुल 200 लीटर, 03 पेटी बीयर व 297 देशी अपमिश्रित शराब को गढ्ढा खोदकर गढ्ढे में माल को गिराकर जलाकर नष्ट कराया गया तथा मिट्टी से पटवाया गया जिसका मौके पर फोटो विडियोग्राफी किया गया।

माल (अवैध शराब) के विनष्टीकरण हेतु उपस्थित टीम का विवरण-

01. श्री उमेश कुमार सिंह तहसीलदार सदर मऊ।
02. प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर मऊ।
03. उ0नि0 घनश्याम सिंह व हे0मु0 श्यामचरन यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

एनडीपीएस एक्ट से संबंधित शातिर अपराधी व हिस्ट्रीशीटर बदरूद्दीन खान द्वारा अपराध से अर्जित धन से बनाया गया तीनमंजिला मकान संख्या 590/ए-1 (लगभग 29 लाख 73 हजार रुपये कीमती) अर्न्तगत धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट में किया गया कुर्क–

मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला व कोतवाली पुलिस व राजस्व टीम द्वारा हिस्ट्रीशीटर एनडीपीएस एक्ट संबंधित शातिर अभियुक्त बदरूद्दीन खान पुत्र मंसूर अली निवासी मुंशीपुरा नई बस्ती (भाई के ट्यूबवेल के पास) थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली मऊ में मु0अ0सं0 320/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये अपराध जगत से अर्जित धन से अपनी पत्नी शबनम बानों पत्नी बदरूद्दीन खान निवासी मुंशीपुरा नई बस्ती (भाई के ट्यूबवेल के पास) थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के नाम से मौजा मुहल्ला मुंशीपुरा (भाई के ट्यूबवेल के पास) तहसील सदर जनपद मऊ में जमीन गाटा संख्या 62 रकबा 1.251 हे0 में रकबा 0.011 हे0 पर आलीशान भवन निर्मित है, जिसकी अनुमानित कीमत 29 लाख 73 हजार रुपये है।

अभियुक्त बदरूद्दीन खान एवं उसकी पत्नी के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत नही है जिससे उक्त बेशकीमती तीनमंजिला मकान बनाया जा सके। पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा दिनांक 04.01.2025 को उक्त तीनमंजिला मकान को कुर्क करने की संस्तुति दी गयी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी मऊ द्वारा दिनांक 20.01.2025 को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अन्तर्गत उक्त तीनमंजिला मकान को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में आज दिनांक 27.01.2025 को थाना दक्षिणटोला, कोतवाली पुलिस व राजस्व टीम द्वारा उक्त तीनमंजिला मकान को कुर्क किया गया।

अपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 442/2006 8/21 NDPS ACT कोतवाली नगर जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 163/2007 8/21 NDPS ACT कोतवाली नगर जनपद मऊ।
3. मु0अ0सं0 541/2010 8/21 NDPS ACT सरायलखन्सी जनपद मऊ।
4. मु0अ0सं0 82/2014 8/20 NDPS ACT कोतवाली नगर जनपद मऊ।
5. मु0अ0सं0 237/2014 8/20 NDPS ACT कोतवाली नगर जनपद मऊ।
6. मु0अ0सं0 686/2016 8/20 NDPS ACT कोतवाली नगर जनपद मऊ।
7. मु0अ0सं0 462/2017 8/22 NDPS ACT कोतवाली नगर जनपद मऊ।
8. मु0अ0सं0 200/2022 8/20 NDPS ACT कोतवाली नगर जनपद मऊ।
9. मु0अ0सं0 517/2022 8/21 NDPS ACT कोतवाली नगर जनपद मऊ।
10. मु0अ0सं0 257/2023 8/20 NDPS ACT कोतवाली नगर जनपद मऊ।
11. मु0अ0सं0 320/2023 3(1) उ0 प्र0 गैंगेस्टर एक्ट कोतवाली नगर जनपद मऊ।

‘आपरेशन क्लीन’ अभियान के अन्तर्गत थाना दोहरीघाट पर मुकदमों से सम्बन्धित कुल 06 दोपहिया वाहनों की नीलामी कराकर जीएसटी सहित कुल ₹38800/- (अड़तीस हजार आठ सौ रुपये) के राजस्व की प्राप्ति की गई।

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी श्री पियूष मोर्डिया के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद मऊ में थानों पर लंबित माल मुकदमाती/लावारिस वाहनों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे “ऑपरेशन क्लीन” अभियान के क्रम में नायब तहसीलदार श्री निशांत मिश्रा व प्रभारी निरीक्षक दोहरीघाट श्री प्रमेन्द्र कुमार सिंह की उपस्थिति में दिनांक 27.01.2025 को थाना दोहरीघाट पर विभिन्न जनपदों से आये 04 रजिस्टर्ड कबाड़ व्यापारियों के समक्ष बोली लगवाकर नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत 06 दोपहिया वाहन (01 एक्टिवा स्कूटी, 01 स्प्लेण्डर, 02 डिस्कवर, 01 सीडी डान, 01 प्लेजर) (207 एमवी एक्ट लावारिस) का निस्तारण कराकर कुल ₹38800/- (अडतीस हजार आठ सौ रुपये) राजस्व की प्राप्ति की गयी। प्राप्त धनराशि को नियमानुसार राजकोष में जमा किया जायेगा।